



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

5 श्रावण, 1944 (श०)

संख्या - 343 राँची, बुधवार, 27 जुलाई, 2022 (ई०)

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

27 जुलाई, 2022/ श्रावण 5, 1944 (शक)

सं.480/2022--राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम, 1974 के नियम 27 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग 6 अगस्त, 2022 (शनिवार) को ऐसे दिन के रूप में जिस दिन और उस दिन के सांय 6:00 बजे का समय उस समय के रूप में नियत करता है, जिस समय पर उप-राष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2022 के मतों की गणना नई दिल्ली में रिटर्निंग आफिसर के कार्यालय के कक्ष सं.-63, प्रथम तल, संसद भवन, नई दिल्ली में की जाएगी।

आदेश से,

नरेन्द्र ना. बुटोलिया,
वरिष्ठ प्रधान सचिव।

उपरोक्त आदेश का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
के० रवि कुमार,
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह-सचिव ।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

27th July, 2022 / Shravana 5, 1944 (Saka)

No. 480/2022-- In pursuance of rule 27 of the Presidential and Vice-Presidential Elections Rules, 1974, the Election Commission of India hereby appoints the 6th August, 2022 (Saturday), as the day on which and 6.00 p.m. of that day as the time at which, the counting of votes for the Vice-Presidential Election, 2022 shall take place in the office of Returning Officer in Room No. 63, First Floor, Parliament House, New Delhi.

By Order,

NARENDRA N. BUTOLIA,

SR. PRINCIPAL SECRETARY.
